



श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय
SHRI LAL BAHADUR SHASTRI NATIONAL SANSKRIT UNIVERSITY

A Central University established by an Act of Parliament
(Formerly Shri Lal Bahadur Shastri Rashtriya Sanskrit Vidyapeetha, Deemed to be University)

फार्म सं. 02

अवकाश आवेदन-पत्र
आकस्मिक अवकाश/प्रतिबंधित अवकाश/क्षतिपूरक अवकाश

दूरभाष कार्यालय:
011-46060505, 506

- कर्मचारी का नाम :
- पद :
- विभाग/अनुभाग :
- मांगी गई अवकाश की किस्म एवं अवधि :
- मांगी गई अवकाश की तिथि : से तक कुल दिन
- अवशेष अवकाश (कार्यालयीय अभिलेखानुसार) :
- क्षतिपूरक अवकाश हेतु कार्य किए गए दिनों की तिथि :
- अवकाश का कारण :
- अवकाश के दौरान पता तथा :

दूरभाषा :

दिनांक :

प्रार्थी के हस्ताक्षर

नियंत्रण अधिकारी की टिप्पणी/सिफारिश

मांगा गया अवकाश स्वीकृति हेतु संस्तुत करता/करती/नहीं करता/करती हूँ।

दिनांक :

हस्ताक्षर

नाम

विभाग पद

केवल कार्यालय प्रयोग के लिए

- कार्यालयीय रिकार्ड के अनुसार श्री/श्रीमती/डॉ./कु. के अवकाश खाते में अवकाश की संख्या निम्न प्रकार है :-
आकस्मिक अवकाश प्रतिबंधित अवकाश क्षतिपूरक अवकाश
- मांगा गया अवकाश स्वीकृत किया जा सकता/नहीं किया जा सकता है।
टिप्पणी :

संबंधित सहायक

अनु. अ. (प्रशासन)

सहा. कुलसचिव (प्र.)

अग्रसारित अवकाश स्वीकृत/अस्वीकृत किया जाता है।

कुलसचिव

कुलपति

आकस्मिक अवकाश :

आकस्मिक अवकाश हेतु पूर्व स्वीकृति अपेक्षित है परन्तु किन्हीं आवश्यक कार्य होने पर संबंधित नियंत्रण अधिकारी/विभागाध्यक्ष/संकायाध्यक्ष को सूचित करना अनिवार्य है तथा लिखित रूप में निर्धारित आवेदन-पत्र संबंधित नियंत्रण अधिकारी/विभागाध्यक्ष एवं संकायाध्यक्ष की टिप्पणी/सिफारिश सहित कार्यालय में प्रेषित करेंगे।

अन्य प्रकार के अवकाश हेतु नियमानुसार आवेदन-पत्र 10 दिन पूर्व नियंत्रक अधिकारी की संस्तुति के साथ प्रेषित किया जाना अनिवार्य है तथा अवकाश स्वीकृति की सूचना प्राप्त करने के पश्चात् ही अवकाश का उपभोग किया जाना नियमानुकूल स्वीकार्य किया जायेगा। यदि किसी अध्यापक या अन्य कर्मचारी द्वारा अवकाश सम्बन्धी नियमों का अनुपालन नहीं किया जाता है तो बिना किसी पूर्व सूचना के सम्बन्धित दिवस/दिवसों को अनधिकृत अनुपस्थिति स्वीकार किया जायेगा तथा नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

अध्यापकों को देय अवकाश विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियम,2010 के प्रावधानों के अनुरूप स्वीकृत किये जायेंगे ।

आदेशानुसार